न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **137/14 (वाद)**

GCMS No. : 2014/00019

1. श्री सुखलाल पिता मोहनलाल गुरू गर्ग निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री उंकारलाल उर्फ औंकारलाल पिता मोहनलाल गुरू गर्ग निवासी ईण्टाली तहसील मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री लोगर पिता वरदा कुम्हार निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री खेमराज पिता वरदा कुम्हार निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दुर्गाशंकर मेनारिया, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.01.2026

1. वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की आराजी नम्बर 2393, 2396 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में सुखलाल, उंकारलाल, उंकारी पिता मोहनलाल, मु. केशी बेवा मोहनलाल 1/2 मु. मोडी बेवा छगना 1/2 गुरू हि. ब.सा. देह खातेदार के नाम पर दर्ज हैं।
2. यह कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रार्थीगण व उसके सहखातेदारान की भूमि पर पांच वर्ष पूर्व वादीगण अपनी मॉ का ईलाज कराने हेतु बाहर गये हुए थे कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने नाजायज रूप से अनाधिकार अतिक्रमण कर लिया। वादीगण व सहखातेदार द्वारा मना करने के बावजूद आराजी के दक्षिणी–पश्चिमी भाग को अपने कब्जे में ले लिया है और उस पर नींवे खोद बाउण्ड्रीवाल बना दी, पत्थर, सीमेंट, रेत आदि डाल

60 फीट लम्बी 60 फीट चौडी भूमि में निर्माण करने लग गयें। वादीगण ने बार–बार कहा तो भी नाजायज अतिक्रमण कर कब्जे में ली गई भूमि का कब्जा वादीगण व सहखातेदारान को नहीं सौंपा गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा बारम्बार टालमटोल किया जाता रहा।

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा वादीगण व सहखातेदारान की भूमि पर नाजायज रूप से अनाधिकार अतिक्रमण कर नींवे खोद बाउण्ड्रीवाल बना दी तथा अब मकान निर्माण करने लगे है मौके पर निर्माण सामग्री पडी है जिससे वादीगण व सहखातेदार को भारी नुकसान हो रहा है व मौसमानुसार फसले नहीं ले पा रहे हैं। वह उस भूमि का उपयोग उपभोग काश्त नहीं कर पा रहे हैं। उससे आवादान नहीं कर पा रहे है तथा समयानुसार मिलने वाले लाभ से भी वंचित रह रहे हैं। उक्त वर्णित आराजीयात में से विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अनाधिकार अतिक्रमण किया गया। प्रार्थीगण व सहखातेदारान की भूमि पर प्रार्थीगण व सहखातेदार का हक हिस्सा हो स्वामित्व, खातेदारी अधिकार है एवं वादीगण इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कब्जा हटवाने के अधिकारी हैं। वादीगण को कब्जा नहीं मिल पाने से उनके जायज हकों पर बुरा प्रभाव पड रहा है जिससे वादीगण को बेदखली व कब्जा दिलाने का यह वाद प्रस्तुत करने पर बाध्य होना पडा हैं।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बार–बार सूचना कर दिये जाने के बावजूद वें वादीगण व सहखातेदार की भूमि पर अनाधिकार किया कब्जा नहीं छोड रहे है जिससे वादीगण को डर हो गया है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 उनकी यह भूमि उनसे छिन लेंगे। वह भविष्य में भी इस भूमि से मिलने वाले लाभों से पूर्ण रूपेण वंचित कर देंगे। इसलिए प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे इस भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण व सहखातेदारान के उपयोग–उपभोग में बाधा नहीं पहूंचावे, भूमि पर नये भार, अस्थायी या स्थायी निर्माण व अन्य कार्य नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यह कार्य वे स्वयं नहीं करे तथा न अपने एजेन्ट, ठेकेदार, श्रमिक या अन्य से करावें।

5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा वाद पत्र में वर्णित आराजी में खातेदारों की भूमि पर नाजायज रूप से अनाधिकार अतिक्रमण कर लिया गया और मना करने के बावजूद भी अतिचार कायम रखा जिससे प्रतिवादी संख्या 1, 2

अतिचार किये जाने के समय से आज दिन तक अतिचारी भूमि के प्रत्येक कृषि वर्ष के लगान का पन्द्रह गुना तक की शास्ति से दण्डित किये जाने योग्य है तथा इस दौरान वादीगण व सहखातेदारान को हुए 2,00,000/– रूपये की नुकसानी भी प्रतिवादी संख्या 1, 2 से वसूल कर दिलाई जाना आवश्यक हैं। वाद हेतुक पांच वर्ष पूर्व प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने अनाधिकार अतिक्रमण कर उक्त भूमि अपने कब्जे में ले ली व वादीगण द्वारा बार–बार कहने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा नहीं हटाने से पुनः उत्पन्न हुआ तथा अंतिम बार दिनांक 30.05.2014 को उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

6. अन्त में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के 60 गुणा 60 फीट लंबी–चौडी भूमि पर किये गये अतिक्रमण से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा वादीगण व सहखातेदारान को उक्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे इस भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा नहीं पहूंचावे, भूमि पर नये भार, अस्थायी या स्थायी निर्माण व अन्य कार्य नहीं करे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यह कार्य वें स्वयं नहीं करे तथा न अपने एजेन्ट, ठेकेदार, श्रमिक या अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 1, 2 को अतिचार समय से आज दिन तक अतिचारी भूमि के प्रत्येक कृषि वर्ष के लगान का पन्द्रह गुना शास्ति से दण्डित किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2 से वादीगण व सहखातेदारान को नुकसानी के दो लाख रूपये दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब मय काउन्टर वाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात मौजा ईण्टाली में स्थित है। उक्त आराजी किसके नाम पर है वादीगण दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करावें। वादीगण ने इस वाद में खातेदार उंकारी पुत्री मोहनलाल, मु. केशी बेवा मोहनलाल, मु. मोडी बेवा छगना गुरू को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है जिससे इसी कानूनी बिन्दू के आधार पर वाद चलने योग्य नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1,

2 ने नाजायज रूप से कोई अनाधिकार अतिक्रमण नहीं किया हैं। सही स्थिति इस प्रकार है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार श्री मोहनलाल पिता देवकिशन गुरू थें। मोहनलाल जी व वादीगण उनके पुत्रों को अपने पारिवारिक कर्जे की अदायगी करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से संवत् 2047 का जेठ सुद 3 को 12000/– बारह हजार रूपये के प्रतिफल में उगमणी आथमणी धराउ दिशा में पुणा अगतीस हाथ यानि बतीसा गज ओर उगमणी साईड धराउ लंकाउ साडा अगतीस हाथ लम्बा भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी को बेह कर दी ओर इस आशय का एक बेहनामा साक्षीयों की उपस्थिति में पुरे स्टाम्प पर लिखवा वादीगण एवं वादीगण के पिता मोहनलाल जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये व कब्जा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी को सुपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि के 3840/51164 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी का हिस्सा कब्जा उपयोग उपभोग वादीगण एवं हर आम खास के ज्ञान में चला आ रहा है और उक्त वादग्रस्त आराजी के शेष 47324/51164 हिस्से पर वादीगण एवं वादीगण की बहिन उंकारी एवं माता केशी बाई का हिस्सा कब्जा हैं। इस आराजी के शेष 1/2 हिस्से पर शेष हिस्से के खातेदारों का हिस्सा कब्जा उपयोग उपभोग निरन्तर निराबाध चला आ रहा हैं।

8. यह कि इस भूखण्ड को क्रय करने के बाद प्रतिवादीगण ने कुछ भाग पर मकान बनाया ओर सपरिवार निवास करते चले आ रहे है एवं बिजली का कनेक्शन ले रखा है एवं नल कनेक्शन भी ले रखा हैं। उक्त भूमि के विक्रय सुदा उक्त हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी व वरदा जी की मृत्यु बाद प्रतिवादी संख्या 1, 2 के अलावा वादीगण अथवा अन्य किसी का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है जिसके पडौस इस प्रकार है :–

पूर्व – उगमणी–मारा खेत अणीज मेली जगह की मेर यानि विक्रय सुदा आराजी का शेष भाग

पश्चिम – आतमणी–गुलाब जी तथा आम रास्ता री।

उतर–धराउ–मारा अणीज मेला खेत री यानि इसी विक्रय सुदा आराजी का शेष भाग

दक्षिण–लंकाउ–आम रास्ता तथा बादशाही पंथ की।

उक्त भूखण्ड मोहनलाल जी ने अपने खेत में काट कर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी को विक्रय किया तब यह शर्त रखी कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी को जो भूखण्ड बेचा उसके पूर्व दिशा में कभी भी मोहनलाल जी बाडा बान्धेंगे तो एक हाथ यानि 2 फीट जमीन छोड कर दिवार बनायेगें। नेव नहीं डाल सकेंगे। इस प्रकार वादीगण के पिता मोहनलाल जी ने जब यह भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी को विक्रय किया तब वादीगण स्वयं उपस्थित थे और बेहनामें पर वादीगण ने उक्त बेहनामा को सही मानते हुए स्वीकारोक्ति के रूप में अपने हस्ताक्षर किये है जिससे वादीगण द्वारा उक्त बेहनामें से पाबंद है और इससे विमुख नहीं जा सकते है अर्थात् वादीगण उक्त बेहनामें से स्टोप्ड हैं।

9. यह कि जब वादीगण के ज्ञान, सहमति से वादीगण के पिता मोहनलाल जी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त वादग्रस्त आराजी में से 3840/51164 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। वादीगण ने उक्त वर्णित तथ्य मात्र दावा बनाने की नियत से झुठे अंकित करवाये हैं। वादग्रस्त भूमि के किसी भी अंश पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कोई नाजायज कब्जा नहीं है और न ही प्रतिवादी संख्या 1, 2 नाजायज अतिचार के दोषी है और न ही प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने कोई ताजा निर्माण किया और न ही मौके पर कोई निर्माण सामग्री ही डाली हैं। सही तो यह है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मकान वर्ष 1998 में ही बन गये तब से सपरिवार निवास कर रहे हैं। वर्ष 1998 के बाद प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने कोई निर्माण नहीं कराया हैं। वादग्रस्त भूमि के 3840/51164 हिस्से पर हम प्रतिवादीगण का हिस्सा बराबर से कब्जा उपयोग उपभोग होकर मकान बनाकर निवास कर रहे है जो वादीगण एवं हर आम खास के ज्ञान में गत 24 वर्षों से निरन्तर निराबाध खुले तोर से प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कब्जा चला आ रहा है जिससे वादग्रस्त भूमि बाबत् वादीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी मोहनलाल जी के इस भूमि में जितने भी हक अधिकार सुखाधिकार निहित थे वे कानूनन धारा 63 (1)(4) रा.टि.ए. के तहत् विलोपित होकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी व उनके निधन के बाद वादीगण में निहित हो चुके है और एडवर्स पजेशन के आधार पर कानूनन खातेदार बन चुके हैं। वादीगण ने बिनाय वाद पांच वर्ष पूर्व प्रथम बार उत्पन्न होने का कथन किया है लेकिन वाद में बिनाय की कोई दिनांक अंकित नहीं की

इसके बाद अन्तिम बार दिनांक 30.05.2014 लिखी जो भी गलत हैं। वादीगण के पिता मोहनलाल जी ने वादीगण की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी में से जवाब में वर्णितानुसार सम्वत् 2047 के जेठ सुदी 3 से ही वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी व उनके बाद प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कब्जा जायज हक व अधिकारों के तहत है जिससे वादीगण का अवधि बाहर होने से इसी कानूनी बिन्दू के आधार पर चलने योग्य नहीं हैं। वादीगण वाद में वर्णित दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

10. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने माननीय न्यायालय में कब्जेयाबी का वाद संस्थित किया है और अपने पूरे वाद में यह कहीं नहीं बताया है कि हम प्रतिवादीगण ने इस आराजी के कितने भू भाग पर कब्जा किया और कितने भू भाग से वादीगण कब्जा हटा कर प्राप्त करना चाहते है और इसके पडौस क्या है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार उंकारी, केशी, मोडी को वादीगण ने इस वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिससे वादीगण के वाद में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष होने से चलने योग्य नहीं हैं। वादीगण का वाद मियाद बहार है और माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं हैं। प्रतिवादीगण का कब्जा वादीगण व उनके पूर्वाधिकारी मोहनलाल जी द्वारा विक्रय कर दिये जाने से गत 24 वर्षों से हैं। वादीगण ने अपने वाद में यह कहीं नहीं बताया है कि यह भूमि वादीगण के पास कहां से आयी जिससे भी वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं हैं। विक्रय सुदा भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है जिससे बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं।

11. **काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि** मौजा ईण्टाली में आराजी नम्बर 2393, 2396 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा स्थित हैं। उक्त वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा पहले मोहनलाल पिता देवकिशन जी एवं 1/2 हिस्सा छगना जी गरू के नाम खातेदारी हक से दर्ज थी। मोहनलाल जी के निधन बाद विरासत से वादीगण एवं उंकारी पुत्री मोहनलाल, केशी बेवा मोहनलाल के नाम अंकित हुई। छगना जी की विरासत से भूमि उनकी बेवा मोडी के नाम अंकित हुई। खातेदार मोहनलाल जी एवं छगना जी ने इस भूमि का आपसी तोर से फेमेली सेटलमेन्ट कर अलग–अलग काबिज हुए। मोहनलाल जी ने अपने हिस्से एवं कब्जे की भूमि में से मोहनलाल जी व वादीगण उनके पुत्रों को अपने

पारिवारिक कर्जे की अदायगी करने के लिए रूपयों की आवश्यकता होने से सम्वत् 2047 का जेठ सुद 3 को 12,000/– रूपये के प्रतिफल में उगमणी आथमणी धराउ दिशा में पुणा अगतीस हाथ यानि बतीसा गज ओर उगमणी साईड धराउ लंकाउ साडा अगतीस हाथ लम्बा भूखण्ड प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी को बेह कर दी ओर इस आशय का एक बेहनामा साक्षीयों की उपस्थिति में पुरे स्टाम्प पर लिखवा वादीगण एवं वादीगण के पिता मोहनलाल जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिये व कब्जा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी को सुपुर्द कर दिया तब से उक्त भूमि के 3840/51164 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी का हिस्सा कब्जा उपयोग उपभोग वादीगण एवं हर आम खास के ज्ञान में चला आ रहा है और उक्त वादग्रस्त आराजी के शेष 47324/51164 हिस्से पर वादीगण एवं वादीगण की बहिन उंकारी एवं माता केशीबाई का हिस्सा कब्जा हैं। इस आराजी के शेष 1/2 हिस्से पर शेष हिस्से के खातेदारों का हिस्सा कब्जा उपयोग उपभोग निरन्तर निराबाध चला आ रहा हैं। इस भूखण्ड को क्रय करने के बाद प्रतिवादीगण ने कुछ भाग पर मकान बनाया ओर सपरिवार निवास करते चले आ रहे है एवं बिजली का कनेक्शन ले रखा है एवं नल कनेक्शन भी ले रखा हैं। विक्रय सुदा भूमि के पडौस इस प्रकार है :–

पूर्व – उगमणी–मारा खेत अणीज मेली जगह की मेर यानि विक्रय सुदा आराजी का शेष भाग

पश्चिम – आतमणी–गुलाब जी तथा आम रास्ता री

उत्तर – धराउ–मारा अणीज मेला खेत री यानि इसी विक्रय सुदा आराजी का शेष भाग

दक्षिण – लंकाउ–आम रास्ता तथा बादशाही पंथ की

12. यह कि वादग्रस्त भूमि के 3840/51164 हिस्से पर हम प्रतिवादीगण का हिस्सा बराबर से कब्जा उपयोग उपभोग होकर मकान बनाकर निवास कर रहे है एवं मकान बनाने में लाखों रूपया का खर्चा किया है जो वादीगण एवं हर आम खास के ज्ञान में गत 24 वर्षों से निरन्तर निराबाध खुले तौर से प्रतिवादी संख्या 1, 2 का कब्जा चला आ रहा है जिससे वादग्रस्त भूमि बाबत् वादीगण अथवा उनके पूर्वाधिकारी मोहनलाल जी के इस भूमि में जितने भी हक अधिकार सुखाधिकार निहित थे वे कानूनन धारा 63(1)(4) रा.टि.ए. के तहत् विलोपित

होकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी व उनके निधन के बाद वादीगण में निहित हो चुके है और एडवर्स पजेशन के आधार पर कानूनन खातेदार बन चुके है लेकिन बेहनामा के आधार पर क्रय सुदा भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पिता वरदा जी व उनके निधन के बाद प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज नहीं हुई जिससे वादीगण इस क्रय सुदा भूमि के हिस्से को अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी है एवं वादग्रस्त क्रय सुदा भूमि में वादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं होने के बावजूद इस वाद के जरिये बेदखल करने की धमकीयां दे रहे है जिससे स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं।

13. यह कि बिनाय काउन्टर क्लेम विरूद्व वादीगण दिनांक 16.06.2014 को उक्त वाद के सम्मन मिलने की दिनांक को पैदा हुआ इसके बाद वादीगण द्वारा बेदखल करने की निरन्तर धमकीयां दिये जाने से पैदा होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि बहक प्रतिवादी संख्या 1, 2 विरूद्व वादीगण निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि मौजा ईण्टाली में आराजी नम्बर 2393, 2396 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के 3840/51164 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1, 2 को हिस्सा बराबर से एवं 47324/51164 हिस्से का वादीगण एवं केशी, उंकारी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं शेष 1/2 हिस्सा मोडी बेवा छगना के नाम है वो यथावत् रहेगा। वादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे काउन्टर क्लेम में वर्णित आराजी में से 3840/51164 हिस्सा की भूमि जिसके पडौस काउन्टर क्लेम में अंकित है जिसमें आवे नहीं, जावे नहीं, जबरन कब्जा नहीं करे, बेदखल नहीं करे एवं प्रतिवादीगण के हिस्से कब्जे एवं रिहायशी मकान के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करें। यह कार्य वादीगण स्वयं अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नहीं करे, न करावें। काउन्टर क्लेम का व्यय एवं अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी संख्या 1, 2 को दिलाया जावें। दौराने काउन्टर क्लेम यदि वादीगण कोई नयी घटना पैदा करे तो उसका अनुतोष भी इसी काउन्टर क्लेम के जरिये दिलाया जावें।

14. **वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1, 2 के काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** दिनांक 16.06.2014 को वादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की

कोई बिनाय पैदा नहीं होती है। मात्र काउन्टर क्लेम बनाने की नियत से झुठी बिनाय अंकित की हैं। काउन्टर क्लेम में वर्णित अनुतोष प्रतिवादीगण लोगर, खेमराज प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है जिससे प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम सव्यय खारिज फरमाया जावें।

15. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम ईण्टाली की आराजी संख्या 2393 एवं 2396 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि के दक्षिणी पश्चिमी भाग के 60 गुणा 60 फीट लम्बी चौडी भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर रखा है। वादीगण उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बेदखल करने और कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ..... जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण बेहनामा जेठ सुद 3 सम्वत् 2047 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के 3840/51164 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी

4. आया प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि के 3840/51164 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

.....जिम्मे प्रतिवादी

5. अनुतोष।

16. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्री उंकारलाल पिता मोहनलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर दिनांक 06.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया। गवाह पीडब्ल्यू 1 से प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार द्वारा जिरह पूर्ण की गई। गवाह पीडब्ल्यू 1 द्वारा दस्तावेजात मौजा ईण्टाली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 938 प्रदर्श 1, खाता संख्या 1207 की नकल प्रदर्श 2 करवाए गए। प्रतिवादी संख्या 3 राजपेरोकार द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहा। अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

17. हमने अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

1. आया वादग्रस्त भूमि ग्राम ईण्टाली की आराजी संख्या 2393 एवं 2396 किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि के दक्षिणी पश्चिमी भाग के 60 गुणा 60 फीट लम्बी चौडी भूमि पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर रखा है। वादीगण उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1, 2 को बेदखल करने और कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।
2. आया वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उक्त दोनो तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। प्रदर्श 1 ग्राम ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 938 पर दर्ज आराजी नम्बर 2393 रकबा 0.0162 वादी संख्या 1, 2 एवं अन्य सहखातेदार उंकारी, केशी, मोडी के नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श 2 खाता संख्या 1207 पर दर्ज आराजी नम्बर 2396 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं उंकारी, कंचनदेवी, केशी, मंजु, मोडी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है जबकि जमाबंदी में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नही है। प्रतिवादीगण द्वारा मौके के फोटोग्राफ्स पेश किए गए। जिससे जाहीर होता है कि उनके द्वारा अपने रहने के लिए मकान बना रखा है। अर्थात रिहायशी मकान बना रखा है। ऐसे में रिहायशी मकान से बेदखल किया जाना उचित नही है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वाद में यह भी अंकित किया गया है कि उनके द्वारा उक्त भूमि क्रय की गई है जिसके संबंध में स्टाम्प पर लिखापढी प्रस्तुत की गई है। उक्त स्टाम्प का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने जाहीर होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अवश्य ही कोई ईकरार विक्रय के संबंध में हुआ है। ऐसे में प्रतिवादीगण के रिहायशी मकान से बेदखल कर दिया जाता है तो

उसके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। परन्तु रिहायशी मकान के अलावा प्रतिवादीगण द्वारा कोई कब्जा कर रखा है तो उस भूमि से बेदखल करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में आंशिक साबित की जाती है।

3. आया प्रतिवादीगण बेहनामा जेठ सुद 3 सम्वत् 2047 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के 3840/51164 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 स्वयं को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।
4. आया प्रतिवादी संख्या 1, 2 वादग्रस्त भूमि के 3840/51164 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उक्त दोनो तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने हेतु स्टाम्प पर अंकित लिखापढी की फोटोप्रति पेश की है। जिसके आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाना चाहते है। न्यायालय का मानना है कि लिखापढी के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। साथ ही प्रकरण में यह साबित हो चुका है की प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर रिहायशी मकान बना रखा है। जिसके कारण उक्त भूमि में खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। साथ ही न्यायालय का यह भी मानना है कि प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज हो चुका है। जिससे जाहीर होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित करवाने का प्रयास ही नही किया गया। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज है। जिसमें से कुछ हिस्सा भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा रिहायशी मकान बना रखा है। रिहायशी मकान से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना उचित नही है। परन्तु प्रतिवादीगण को वादीगण की रिहायशी मकान के अतिरिक्त शेष भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है। ऐसे में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 938 पर दर्ज आराजी नम्बर 2393 रकबा 0.0162 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1207 पर दर्ज आराजी नम्बर 2396 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा यदि कोई रिहायशी मकान बना रखा है तो उसको छोड़ते हुए शेष भूमि से बेदखल करने के आदेश दिए जाते है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है उक्त वादग्रस्त भूमि में यदि कोई रिहायशी मकान निर्मित है तो उसको छोड़ते हुए शेष भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करे। शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री सुखलाल पिता मोहनलाल गुरू गर्ग निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री उंकारलाल उर्फ औंकारलाल पिता मोहनलाल गुरू गर्ग निवासी ईण्टाली तहसील मावली। .....वादीगण

बनाम्

1. श्री लोगर पिता वरदा कुम्हार निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
2. श्री खेमराज पिता वरदा कुम्हार निवासी ईण्टाली तहसील मावली।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा न0 : 137/14 (वाद) GCMS No. – 2014/00019

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

परिणामस्वरूप वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम ईन्टाली पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 938 पर दर्ज आराजी नम्बर 2393 रकबा 0.0162 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 1207 पर दर्ज आराजी नम्बर 2396 रकबा 0.3399 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा यदि कोई रिहायशी मकान बना रखा है तो उसको छोड़ते हुए शेष भूमि से बेदखल करने के आदेश दिए जाते है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है उक्त वादग्रस्त भूमि में यदि कोई रिहायशी मकान निर्मित है तो उसको छोड़ते हुए शेष भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करे। शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.01.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली